रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032024-253294 CG-DL-E-22032024-253294

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946 No. 67] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2024

फा. सं. 04-01/2019-एलआई.—डाकघर जीवन बीमा नियमावली, (2011) के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ) की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, मृत्यु अथवा परिपक्वता के कारण उत्पन्न हुए डाक जीवन बीमा के दावों के मामले में महानिदेशक डाक सेवाएं, निम्नलिखित दर पर साधारण प्रत्यावर्तित बोनस घोषित करते हैं:-

<u>जीवन बीमा का प्रकार</u>	<u>बोनस की दर</u>
i. आजीवन बीमा (डब्ल्यूएलए)	प्रति हजार रुपए की बीमित राशि पर 76/- रु.
ii. बंदोबस्ती बीमा (ईए)	प्रति हजार रुपए की बीमित राशि पर 52/- रु.
(संयुक्त जीवन एवं बाल पॉलिसियों सहित)	
iii. प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा (ए ईए)	प्रति हजार रुपए की बीमित राशि पर 48/- रु.
iv. परिवर्तनीय आजीवन बीमा	आजीवन बीमा की बोनस दर लागू होगी, परंतु परिवर्तित करने की
(सीडब्ल्यूएलए)	स्थिति में बंदोबस्ती बीमा की बोनस दर लागू होगी।
v. टर्मिनल बोनस	20 वर्ष या उससे अधिक की अवधि वाली आजीवन बीमा तथा

2175 GI/2024 (1)

बंदोबस्ती बीमा पॉलिसियों पर प्रति 10,000 रु. की बीमित राशि पर
20 रु. की दर से, 1000 रु. की अधिकतम सीमा के अधीन

- 2. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बोनस की दरें, 01.04.2024 से लागू होंगी।
- 3. भावी मूल्यांकन पूरा होने तक, परिपक्वता अथवा मृत्यु के कारण उत्पन्न हुए सभी दावों के मामलों में अनंतिम बोनस उपरोक्त दरों पर ही देय होगा।
- 4. बोनस राशि में शामिल 50 पैसे अथवा उससे अधिक के भाग को अगले उच्चतर रूपए में पूर्णाकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम के भाग को नजर अंदाज कर दिया जाएगा।

जितेन्द्र गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक (पीएलआई)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2024

F. No. 04-01/2019-LI.—In exercise of powers conferred vide Rule 3 of Post Office Life Insurance Rules (2011) and on the basis of Actuarial Valuation of the assets and liabilities of Post Office Life Insurance Fund (POLIF) as on 31.03.2023, the Director General Postal Services is pleased to declare a simple Reversionary Bonus on the Postal Life Insurance Policies on their becoming claims, due to death or maturity at the following rates:-

Type of Insurance Policy	Rate of Bonus
i. Whole Life Assurance (WLA)	Rs. 76/- per thousand of sum assured
ii. Endowment Assurance (EA)	Rs. 52/- per thousand of sum assured
(including Joint Life & Children Policies)	
iii. Anticipated Endowment Assurance (AEA)	Rs. 48/- per thousand of sum assured
iv. Convertible Whole Life Assurance (CWLA)	Whole Life bonus rate would be applicable, but on
	conversion, Endowment Assurance bonus rate will be
	applicable
v. Terminal Bonus	Rs. 20/- per sum assured of Rs. 10,000/- subject to
	maximum of Rs. 1000 for Whole Life Assurance and
	Endowment Assurance policies with term of 20
	years or more.

- 2. The rates of Bonus for the Financial Year 2024-25 will be applicable from 01.04.2024.
- 3. Interim Bonus at the rates mentioned above will also be payable for all claims arising due to maturity or death until future valuation is completed.
- 4. The amount of Bonus involving a fraction of 50 paisa or more shall be rounded off to the next higher Rupee and fraction below 50 paisa shall be ignored.

JITENDRA GUPTA, Chief General Manager (PLI)